

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र सं०-कार्य०का०सू०-05/2021-1704/वि०स०।

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद,

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण, झारखण्ड सरकार, राँची।

राँची, दिनांक-13/08/2021

विषय:- पंचम झारखण्ड विधान सभा के षष्ठम् (मानसून) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के पत्रांक-कार्य०का०सू०-05/2021-1703/वि०स०, राँची, दिनांक-13 अगस्त, 2021 के क्रम में निदेशानुसार में, पंचम झारखण्ड विधान-सभा का षष्ठम् (मानसून) सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उक्त सत्र तिथि-03 सितम्बर, 2021 से 09 सितम्बर, 2021 तक के अवधि में होनेवाली बैठकों में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के निष्पादन के लिए कौन-कौन सी तिथियाँ नियत की गई हैं:-

2. दिनांक:- 03 सितम्बर, 2021 को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो) एवं विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणिकृत प्रतियों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो) तत्पश्चात् शोक प्रकाश (यदि हो) लिये जायेंगे।

3. दिनांक:- 04 सितम्बर, 2021 और 05 सितम्बर, 2021 को बैठक नहीं होगा।

-: मुख्यमंत्री प्रश्नकाल :-

4. दिनांक:- 06 सितम्बर, 2021 को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा।

-: वित्तीय कार्य:-

05. वित्तीय वर्ष-2021-22 के प्रथम अनुपूर्क व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं व्यवस्थापन- दिनांक- 06 सितम्बर, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूर्क व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं दिनांक-07 सितम्बर, 2021 को उक्त व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण होगा।

अतएव झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-173 एवं 268 (1) के अन्तर्गत उक्त व्यय विवरणी में सम्मिलित किसी मांग पर कटौती प्रस्तावों की सूचना नियम-168 के तहत शिथिल करते हुए दिनांक- 06 सितम्बर, 2021 को 04:00 बजे अपराह्न तक सचिव के कार्यालय कक्ष में देने हेतु समय नियत किया गया है।

कृ०पृ०30

--: विधायी कार्य :-

6.दिनांक:-08 सितम्बर और 09 सितम्बर,2021 को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) होंगे।

--: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प) :-

07. संलग्न कार्यक्रम को देखने से यह स्पष्ट है कि दिनांक-09 सितम्बर,2021 को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)के लिए नियत किया गया है। झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के अनुसार गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना देने की अंतिम तिथि नियत तिथि से 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व निर्धारित है। इसके तहत गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना दिनांक-26 अगस्त,2021 को 04.00 बजे अप0 तक सचिव के कार्यालय कक्ष में दी जा सकती है।

में इस संबंध में आपका ध्यान झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के द्वितीय परन्तुक की ओर भी आकृष्ट करता हूँ,जिसके अनुसार कोई सदस्य गैर-सरकारी संकल्प के लिए एक से अधिक सूचना नहीं दे सकते हैं।

08. श्लाका- गैर-सरकारी संकल्पों की पूर्ववर्तिता निर्धारित करने के लिए सचिव के कार्यालय कक्ष में श्लाका किया जायेगा, जिसके लिए दिनांक -02सितम्बर,2021 को 04.00 बजे अप0 का समय निर्धारित की गयी है।

09. (क) प्रश्नों की सूचनार्य देने के लिए चकानुवर्तित क्रम की सारणी अलग से परिचारित की जा रही है।

(ख) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्नों की प्राथमिकता श्लाका द्वारा निर्धारित की जायेगी।

10. सत्र में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के लिए उपर्युक्त नियत तिथि ऐसे परिवर्तनों के अधीन है,जो समय-समय पर सदन में अभिज्ञापित किये जायेंगे अथवा दैनिक कार्य-सूची में दिखलाए जायेंगे।

11. यदि कार्यवश दिनांक -09सितम्बर,2021 के पश्चात् भी सत्र चलाना आवश्यक प्रतीत हुआ तो भिन्न-भिन्न कार्यों के निपटारे के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ नियत करते हुए एक अनुपूरक कार्यक्रम बाद में निर्गत किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि इस सचिवालय के द्वारा समय-समय पर प्रेषित कार्य-सूची सहित अन्य ऐसे कागजात जो आपके उपयोग एवं सत्रावधि में निदेश के लिए आवश्यक हो, उसे अपने साथ अवश्य लाने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन,

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

13/08/21

भारत के संविधान के अधीन गठित पंचम झारखण्ड विधान सभा के :
षष्टम् (मानसून) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम

दिनांक 03 सितम्बर, 2021 (शुक्रवार)	-	1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो) 2. विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में मा० राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो)। 3. शोक प्रकाश (यदि हो)
दिनांक 04 सितम्बर, 2021 (शनिवार)	-	अवकाश
दिनांक 05 सितम्बर, 2021 (रविवार)	-	अवकाश
दिनांक 06 सितम्बर, 2021 (सोमवार)	-	1. प्रश्नकाल । 2. मुख्यमंत्री प्रश्नकाल । 3. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन ।
दिनांक 07 सितम्बर, 2021 (मंगलवार)	-	1. प्रश्नकाल । 2. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण ।
दिनांक 08 सितम्बर, 2021 (बुधवार)	-	1. प्रश्नकाल । 2. राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) ।
दिनांक 09 सितम्बर, 2021 (गुरुवार)	-	1. प्रश्नकाल । 2. राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) । 3. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) ।


13.08.2021